□□□ □□□□

□ □□ □त्रा□□

(□ □□□, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, □□□□, सिद्ध एवं होम्यो□□□)

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न सं. 1061

22 □□म्□□, 2019 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

□□□ □□□ □□□भ्रा□□□ वि□ज्ञा□□

1061. प्रो. □ो□□ □□□□□ □□□:

क्□□ □□□□, □□□ □□ प्राकृतिक चि□ि□त□□, □□□□, सिद्ध □□ □म्□□□□ (□□□) □त्री □□ □□□□□□ो □□□ □□□□ि□:

(□) क्□□ □□□□□ □□'□□□' □□□□□□□प्र□□□ □□□□□ □ भ्रा□□□ □□□ों □□□□□□क्□□□□□ □□□□□□□□ भ्रा□□□ वि□ज्ञा□□ों □□ □□□□□ □□□□□ो □□ि□ों □ि□□□□□□□ि□□ □□ □त्र ि□ि□□ ि□□□ □;

(□) □ि □□, □□ □त□□□□ ब□□□□ क्□□ □□□□ □□□□□ द्□□□□ □□ □□ □□ं □□□□□□□ □□□ ि□□□□ □□ि□ों □□ विरुद्ध □□□□□□ □ो □□ □;

(□) क्□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ि□□ विज्ञापनों □ो ि□□□□□□ □□ि□□ □□ज□/□□ □ज□क्षेत्र □□□□□ों □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□ो □; □ □

(□) □ि □□, □□ □त□□□□ ब□□□□ क्□□ □?

□त□□

□□□ □ज□ □त्री (स्□तंत्र प्रभार) (श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(□) □□ (□): औषधि एवं चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 □□ □□□□□□□□ बनाए गए नियम औषधियों और आयुष औषधियों सहित चिकित्सा □□□□ों के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों पर प्रतिबंध का प्रावधान करते ह और इसके पालन म चूक करने वालों पर दंड का प्रावधान करते ह। कद्र □□□□□ □□24 ि□□म्□□, 2018 □□ □□ि □□ प्र□□□□ □□□ग्री ि□□□□□□ो,1945 □ ि□□□ 170 □□ □□स्□□□□ □ि□□ि□□ ि□□□ □, □□ ि□□□□: □□□ि□□, सिद्ध और यूनानी औषधियों के अनुपयुक्त वि□ज्ञा□□ को नियंत्रित करने के लिए □□भ्रामक विज्ञापनों का उभरती हुई समस्या पर विचार करते हुए आयुष मंत्रालय ने प्रिंट और टेलीविजन मीडिया म आयुष संबंधी विज्ञापनों का निगरानी करने के लिए भारतीय विज्ञापन मानक □ि□□□ □□□□□ 2 वष के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ह और यह प्रावधान किया □□□ □□ि□ विधिक उपबंधों के उल्लंघन संबंधी मामलों को राज्य ि□ि□□□□ प्राधिकारियों के समक्ष आवश्य□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ कद्र सरकार के □□□□क्□ मामले विभाग ने ऑनलाइन प्रणाली जीएएमए (ग्रीवांसेज अगस्ट मिसलीडिंग एडवरटाइजमट) पोटल स्थापित का है, जिस पर आयुष औषधियों और सहायक उत्पा□ों □ि□□ विभिन्न जिंसों के भ्रामक विज्ञापन के संबंध म लोक शिकायत दज का जा सकती है। भारतीय मानक विज्ञापन □ि□□□ (□□□□□□□) □ो ि□□□□□□ □□□□स्□रू□ □□□ □त□□ों से संबंधित भ्रामक प्रचार संबंधी 732 मामले

□□ 2017-18 □ □□□ 497 □□□□□□□ 2018-19 म दज ि□□ □□ □□ □□ि□ □□ □□त□□ो □□□□ □ि□ि□□□, 1954 □□प्रावधानों के □ल□□□ □□□□ 456 □□□□□□□ 2017-18 □ □□ 203 □□□□□□□ 2018-19 □ □□ज□ विनियामक प्राधिकारियों के पास विधिक प्रावधानों के अनुरूप कारवाई के लिए □□□□□□

(□) □□ (□): □□ज□/कद्र शासित सरकारों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, □□ि□ □□ □□त□□रो उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतगत कानूनी प्रावधान के लिए शक्ति प्रदान की गई है। □□□□□□ □□ज□/कद्र शासित क्षेत्रों □□ □ि□□□ि□यों को नियुक्ति करने के निदश दिए गए ह। □□ भ्र□□□ □□ □□□□क□ विज्ञापनों से संबंधित आरोपों के संबंध म अधिनियम का □ल□घन करने पर परिसरों म प्रवेश करने/जांच करने या परीक्षण करने या किसी अभिलेख को जब्त □□□□□□ □ि□कार रखते ह और दोषियों के विरूद्ध कारवाई कर सकते ह। आयुष मंत्रालय की कद्रीय स्की□ □□□□□□□ □□ के विभिन्न भागों म आयुवद, सिद्ध, □□□□□ □□ □□म□□पैथी औषधियों के लिए भेषज सतकता कद्र स्था□□□ ि□□ □□ □, जिनका काय भ्रामक विज्ञापनों की ि□□□□□□ करना तथा इसकी रिपोट संबंधित राज्य विनियामक प्राधिकारियों को देना है। आयुष मंत्रालय की जानकारी म लाए गए भ्रामक विज्ञापनों के मामले निवारक एवं विनियामक कारवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से संबंधित राज्य/कद्र शासित क्षेत्र के प्राधिकारी, □ि□□□ □□□□ □□ विनिमाताओं को अग्रेषित किए जाते ह।

****